फाइल सं0 6/12/एनसीएससी/2010-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

<u>रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक 10 जनवरी, 2011

वि-ाय: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की पांचवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक 03-01-2011 को** 11.00 **बजे पूर्वाह्न** आयोजित पांचवीं बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

(एस.एन. मीणा)

भारत सरकार के अवर सचिव

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्री राजू परमार, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

संयुक्त सचिव के निजी सहायक

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर <u>3 दिन के भीतर</u> कार्रवाई करें :-

1. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक (प्रशा.)
2. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)
3. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव (एसएसडब्ल्यू)
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव (प्रशा.)
5. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव (एपीसीआर)
6. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)

(एस.एन. मीणा)

अवर सचिव

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की पांचवीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की पांचवीं बैठक डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष की अध्यक्षता में **दिनांक 03-01-2011 को** 11.00 **बजे पूर्वाह्न** आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी । प्रतिभागियों की सूची **<u>अनुबंध–।</u>** पर है ।

2. प्रारम्भ में, संयुक्त सचिव ने माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष और माननीय सदस्यों का स्वागत किया और आयोग द्वारा परस्पर एवं आयोग के अधिकारियों के बीच नव वर्ष की बधाइयों का आदान-प्रदान हुआ । उसके बाद निम्नानुसार कार्यवाही आरम्भ की गई:-

सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की प्रशंसा की और आशा व्यक्त की कि सार्थक प्रयास आगे भी जारी रहेंगे । संयुक्त सचिव ने आयोग को अवगत कराया कि आयोग ने कम समय में एक बहुत अच्छी छवि कायम की है । सदस्य (आर.पी.) ने सुझाव दिया कि आयोग द्वारा जो भी कार्रवाई/कदम उठाए जाते हैं उनका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि आयोग और इसकी भूमिका/प्रभावकारिता के बारे में दूसरों को भी जानकारी मिल सके ।

उसके बाद आयोग ने निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया:-

कार्यसूची की मद संख्या 1: आयोग की दिनांक 06–12–2010 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।

दिनांक 06-12-2010 को आयोजित आयोग की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को आयोग द्वारा नोट किया गया और अनुमोदित किया गया ।

कार्यसूची की मद संख्या 2: आयोग की दिनांक 13–12–2010 को आयोजित तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

दिनांक 13-12-2010 को आयोजित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त (**अनुबंध–1.1**) दिनांक 30-12-2010 को परिचालित कर दिया गया था । आयोग ने तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी है ।

कार्यसूची की मद संख्या 3: आयोग की दिनांक 13–12–2010 को आयोजित तीसरी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।

आयोग को सूचित किया गया था कि दिनांक 13-12-2010 को आयोजित आयोग की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की जा रही है ।

कार्यसूची की मद संख्या 4: **आयोग के राज्य कार्यालयों में निदेशक का पद भरा जाना ।**

संयुक्त सचिव ने माननीय अध्यक्ष को निदेशक (संयुक्त संवर्ग) के पदों को भरे जाने के संबंध में स्थिति से अवगत कराया । माननीय अध्यक्ष की इच्छा थी कि आयोग द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ सभी लम्बित पड़े मुद्दों के संबंध में उन्हें लिखते रहना चाहिए । (**कार्रवाई: प्रशासन**)

कार्यसूची की मद संख्या 5: **श्री राधाकान्त त्रिपाठी, एडवोकेट, 27, ओल्ड लायर्स चैम्बर्स, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने तीन अभ्यावेदन भेजे हैं जो संबंधित हैं: (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब अभियोगाधीन लम्बे समय से अकथनीय दुर्दशा झेलते आ रहे हैं; (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आजीवन कारावास के गरीब कैदियों के साथ माफी, पैरोल और छूट लेने में भेदभाव किया जा रहा है और इसलिए वे लम्बे समय से उत्पीड़ित हैं; (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब किशोर अकथनीय दुर्दशा झेलते आ रहे हैं ।**

संयुक्त सचिव ने इस मुद्दे को स्पष्ट किया । सदस्य (आर.पी.) ने कहा कि सबसे पहले संबंधित प्राधिकरणों से अनुसूचित जातियों की एक पूरी सूची प्राप्त की जाए । इस संबंध में संयुक्त सचिव ने कहा कि आयोग गृह मंत्रालय, भारत सरकार को लिखेगा और इस संबंध में डेटा प्राप्त करेगा । माननीय अध्यक्ष ने कहा कि सभी अनुसूचित जातियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता दी जानी चाहिए । माननीय अध्यक्ष की इच्छा थी कि ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात् इस संबंध में एक टिप्पणी तैयार की जाए और उसे आयोग की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए । (**कार्रवाई: एपीसीआर**)

कार्यसूची की मद संख्या 6: **उड़ीसा की अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन – उड़ीसा राज्य की अनुसूचित जाति सूची में खटिया समुदाय को शामिल किया जाना।**

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि उड़ीसा राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में खटिया समुदाय को शामिल करने के संबंध में भारत के महापंजीयक की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए । सदस्य भी इससे सहमत हुए । (**कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू**)

कार्यसूची की मद संख्या 7: **पंजाब की अनुसूचित जाति का उम्मीदवार हरियाणा इत्यादि में आवेदन नहीं कर सकता है, इस संबंध में श्री गुरदीप सिंह वरवाल, आई.एफ.एस.(सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, अखिल भारतीय राय सिख समाज सुधार सभा, बी–103–ए, गणेश नगर, नज़दीक तिलक नगर, नई दिल्ली का अभ्यावेदन ।**

माननीय अध्यक्ष की इच्छा थी कि हरियाणा राज्य सरकार से एक रिपोर्ट हासिल की जाए और उसे उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए । (**कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू**)

कार्यसूची की मद संख्या 8: **अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद ।**

(i) संयुक्त सचिव ने प्रस्ताव किया कि प्रत्येक माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष एवं माननीय अध्यक्ष के लिए दौरों पर, जांच/मौके पर पूछताछ की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से लैप टॉप और वीडियो कैमरा (हैंडीकॉम) खरीदे जाएं । (**कार्रवाई: सामान्य प्रशासन**)

(ii) माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान परिसर की अवस्थिति अनुसूचित जाति के याचिकाकर्ताओं विशेषकर दिल्ली से बाहर से आने वालों के लिए पहुंच की दृष्टि से सही नहीं है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह आयोग का अपना भवन होना चाहिए । आयोग मुख्यालय के लिए अलग भवन का मुद्दा भी चर्चा के लिए आया । माननीय सदस्य(आर.पी.) ने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा पूर्व में अभिग्रहित भवन को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए ले लिया जाए और लोकनायक भवन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय के नवीकरण पर व्यय करने की बजाय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को उपर्युक्त भवन आबंटित हो जाने के बाद आयोग को उस भवन का नवीकरण करना चाहिए । संयुक्त सचिव ने सूचित किया कि उन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ इस मामले पर पहले ही विचार-विमर्श कर लिया है और उनकी भी यही राय है । (**कार्रवाई: सामान्य प्रशासन**)

(iii) संयुक्त सचिव ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए स्थायी आवास चिन्हित करने का मुद्दा भी उठाया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन गठित एक स्थायी आयोग है । उन्होंने कहा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों, जो संवैधानिक प्राधिकारी हैं, की हैसियत के अनुसार उपयुक्त आवास संपदा निदेशालय द्वारा चिन्हित किए जाने चाहिएं । हमें इस मामले को सम्पदा निदेशालय के साथ उठाना चाहिए । (**कार्रवाई: सामान्य प्रशासन**)

(iv) माननीय सदस्य (एम.एस.) और माननीय सदस्य (आर.पी.) ने स्टाफ कार का मुद्दा उठाया । उन्होंने कहा कि वर्तमान स्टाफ कारों की स्थिति अच्छी नहीं है और उनके स्थान पर नई कारों की आवश्यकता है । संयुक्त सचिव ने कहा कि एक विशेष मामले के रूप में पुरानी स्टाफ कारों के स्थान पर नई कारों के प्रस्ताव पर सहमति के लिए आंतरिक वित्त प्रभाग के साथ इस मामले को उठाया जाएगा । (**कार्रवाईः सामान्य प्रशासन**)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध -I

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 03-01-2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित पांचवीं बैठक ।

उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी

क्र.सं. ***नाम एवं पदनाम***

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री राजू परमार, सदस्य
4. श्री एम. शिवाना, सदस्य

श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव

अधिकारी

1. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक
2. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव
3. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव
4. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव
5. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक